"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ्/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 368]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 सितम्बर 2016 — आश्विन 1, शक 1938

खेल एवं युवा कल्याण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-2/2009/9. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ खेल एवं युवा कल्याण (राजपत्रित) सेवा में भर्ती तथा सेवा की शर्तों के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियम

- 1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ**.- (1) ये नियम छत्तीसगढ़ खेल एवं युवा कल्याण (राजपत्रित) सेवा में भर्ती नियम, 2016 कहलायेंगे।
 - (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएं.-इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;
 - (ख) "आयोग" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग;
 - (ग) "सिमिति" से अभिप्रेत है अनुसूची-चार में यथा विनिर्दिष्ट विभागीय चयन/पदोन्नित के लिये तात्पर्यित चयन सिमिति;
 - (घ) **"परीक्षा"** से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 11 के अधीन आयोजित प्रतियोगी परीक्षा;
 - (ভ) **"शासन**" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;
 - (च) **"राज्यपाल"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;
 - (छ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्र. एफ 8-5/25/4/84, दिनांक 26 दिसंबर 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

- (ज) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;
- (झ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;
- (ञ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;
- (ट) "सेवा" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ खेल एवं युवा कल्याण (राजपत्रित) सेवा;
- (ठ) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य।
- 3. विस्तार तथा लागू होना.-छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।
- 4. सेवा का गठन.-सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात् :-
 - (1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से या स्थानापन्न हैसियत से धारण कर रहे हो;
 - (2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों; और
 - (3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों।
- 5. वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.-सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची-एक में अन्तर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार होंगे;

परन्तु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या एवं वेतनमान में, समय-समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर, वृद्धि या कमी कर सकेगा।

- 6. भर्ती का तरीका.-(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात् :-
 - (क) चयन (प्रतियोगी परीक्षा और/अथवा साक्षात्कार) के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा;
 - (ख) सेवा के मौलिक या स्थानापन सदस्यों की पदोन्नित द्वारा;
 - (ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल हैसियत में धारण करते हों, जैसा कि इस निमित विनिर्दिष्ट किया जाये।
 - (2) उप-नियम (1) के खण्ड (क), (ख) या (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची-एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के, अनुसूची-दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।
 - (3) इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालाविध के दौरान भरे जाने के लिये अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर शासन द्वारा, आयोग के परामर्श से अवधारित की जायेगी।

- (4) उप—िनयम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि शासन की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो शासन, आयोग से परामर्श पश्चात्, सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़, जिनको उक्त उप—िनयम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करे।
- (5) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा उक्त अधिनियम के अधीन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।
- 7. सेवा में नियुक्ति.— इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी तथा ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।
- 8. सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्ते.— सीधी भर्ती / चयन हेतु पात्र होने के लिये, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थात्:—
 - (1) आयु— (क) कैलेण्डर वर्ष, जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है, की जनवरी के प्रथम दिन को अभ्यर्थी ने अनुसूची—तीन के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो और उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो;
 - (ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) से संबंधित हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
 - (ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिये, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
 - (घ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों या रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी:—
 - (एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;

- (दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, कार्यभारित कर्मचारियों, आकरिमकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुझेय होगी;
- (तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।
- स्पष्टीकरण— शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाईयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।
- (ड.) ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसकें द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।
- स्पष्टीकरण— शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई

की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी किया गया हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो, अर्थात्ः—

- (1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;
- (2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें
 - (क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;
 - (ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो।
- (3) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी हो जाने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं);
- (4) ऐसे भूतपूर्व सैनिक / अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर 6 माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो;
- (5) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो;
- (6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है;
- (7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।
- (च) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति / पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (छ) शहीद राजीव पाण्डे सम्मान, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों, उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित खिलाड़ियों

- तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (ज) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।
- (झ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नान कमीशण्ड अधिकारियों के मामले में, उनके द्वारा पूर्व में इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिए, उच्चतर आयु सीमा में 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- (ञ) उपरोक्त किसी एक या अधिक संवर्गों के आधार पर छूट का लाभ प्राप्त करने के उपरान्त शासकीय सेवा में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा किसी भी दशा में 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी;
- (ट) उपरोक्त के अतिरिक्त आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।
- टीप- ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपरोक्त नियम 8 के खण्ड (1) के उप-खण्ड (घ) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन, परीक्षा / चयन हेतु प्रवेश दिया गया हो, यदि वे आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो परीक्षा / चयन के पूर्व या उसके पश्चात, सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे। किसी अन्य मामले में, ये आयु सीमायें शिथिल नहीं की जाएंगी। विभागीय अभ्यर्थियों को चयन हेतु उपस्थित होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।
- (2) शैक्षणिक अर्हताएं:— अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये यथा विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए, जैसा कि अनुसूची—तीन में दर्शित है।
- (3) शुल्क— (क) अभ्यर्थी को आयोग द्वारा विहित शुल्क का भुगतान करना होगा। (ख) ऐसे अभ्यर्थी, जो चिकित्सा मण्डल के समक्ष उपस्थित होने के लिये अपेक्षित किये

गये हों, को स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व चिकित्सा मण्डल के अध्यक्ष कों, शासन द्वारा यथा विहित शुल्क का भुगतान करना होगा।

- 9. निरर्हता.— (1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से, समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, आयोग द्वारा चयन हेतु निरर्हित माना जा सकेगा।
 - (2) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा / होगी:

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दें सकेगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जैसा कि विहित किया जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त, घोषित न कर दिया जायेः

परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ्य पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

- (4) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक् जांच, जैसा कि वह आवश्यक समझे, के पश्चात, यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।
- (5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित

हों, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा, जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम निराकरण न कर दिया जाए।

- (6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।
- (7) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगाः

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगाभी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद के लिए निरर्हित नहीं होगा।

- 10. अभ्यर्थियों की पात्रता के बारे में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा.— (1) चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा तथा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे परीक्षा/साक्षात्कार हेतु आयोग द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, उसे परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमित नहीं दी जायेगी।
 - (2) चयन प्रक्रिया के किसी भी समय पर अथवा शासन को चयन सूची भेजने के बाद भी, यदि आयोग के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है, तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन / नियुक्ति, आयोग द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।
- 11. चयन (प्रतियोगिता परीक्षा एवं / या साक्षात्कार) द्वारा सीधी भर्ती.— (1) सेवा में भर्ती के लिये चयन, ऐसे अन्तरालों से किया जायेगा, जैसा कि शासन, आयोग के परामर्श से समय—समय पर, अवधारित करे।
 - (2) प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षा पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजना शासन की सहमती से आयोग द्वारा अवधारित की जायेगी तथा यदि आयोग, आवश्यक समझे, तो सेवा में सीधी भर्ती के लिये एवं किसी अन्य सेवा या सेवाओं के लिए, शासन के परामर्श से, संयुक्त परीक्षा ले सकता है।

- (3) सेवा के लिए अभ्यर्थियों का चयन ऐसी रीति से किया जायेगा, जैसा कि आयोग द्वारा अवधारित किया जाये।
- (4) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जानजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के उपबंध तथा इस अधिनियम के अधीन, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।
- (5) महिला अभ्यर्थियों के लिये 30 प्रतिशत पदों को, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार आरक्षित रखा जायेगा। यह आरक्षण समस्तर और प्रभागवार होगा।
- (6) उपरोक्त के अतिरिक्त, निःशक्त व्यक्ति/भूतपूर्व सैनिक के लिये पदों को, शासन द्वारा समय—समय पर बनाये गये अधिनियम/नियम/जारी आदेशों/निर्देशों के अनुसार आरक्षित रखा जायेगा।
- (7) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, उन अभ्यर्थियों, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर—क्रीमी—लेयर) के सदस्य हैं. की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जाएगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।
- (8) उपरोक्त के अतिरिक्त, महिला/निःशक्त व्यक्ति/भूतपूर्व सैनिक जो आरक्षण के परिणामस्वरूप चयनित किये गये हैं, की नियुक्ति के लिए उसी कम में विचार किया जायेगा, जिस कम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अन्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।
- (9) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों को, जिन्हों उनकी प्रशासनिक दक्षता को दृष्टिगत रखते हुए, नियुक्ति के लिये आयोग द्वारा पात्र घोषित किया गया हो, उप-नियम (7) के अनुसार, यथारिथित, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।
- (10) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया हो और शासन की राय में यह पाया जाए कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों

(गैर-क्रीमी-लेयर) से संबंधित अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो शासन, आयोग से परामर्श के पश्चात्, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गी (गैर-क्रीमी-लेयर) के अभ्यर्थियों के लिये अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

- 12. आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची.— (1) आयोग, उन अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में व्यवस्थित एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों जैसा कि आयोग द्वारा अवधारित किया जाये तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर—क्रीमी—लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये आयोग द्वारा उपयुक्त घोषित किये गये हों तथा महिला, निःशक्त व्यक्ति/भूतपूर्व सैनिक से संबंधित प्रत्येक प्रवर्ग के अभ्यर्थियों, जो आरक्षण के फलरूवरूप ऐसे स्तर से अर्हित हों, की एक सूची, मेरिट क्रम में तैयार करेगा, जिसकी नियुक्ति हेतु वैधता, शासन को सूची के भेजे जाने की तारीख से एक वर्ष की होगी।
 - (2) उप-नियम (1) के अधीन इस प्रकार तैयार की गई सूची, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये आयोग की वेबसाइट पर अधिसूचित की जायेगी।
 - (3) रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आयोग द्वारा प्रत्येक प्रवर्ग के लिये एक चयन सूची तैयार की जायेगी, ऐसे प्रवर्ग के लिये एक प्रतिक्षा सूची भी तैयार की जायेगी, जिसमें न्यूनतम एक नाम तथा रिक्त पदों के अधिकतम 25% तक नाम सिम्मिलित होंगे। सूची की वैधता, ऐसी चयन सूची के जारी होने की तारीख से डेढ़ वर्ष की होगी।

स्पष्टीकरण- प्रत्येक प्रवर्ग में रिक्त पदों के 25% आंकलन के लिए, इसे पूर्णीक में लाने हेतु, अंक को अगले पूर्णीक तक बढ़ा दिया जायेगा।

(4) आयोग, उप-नियम (1) एवं (3) के अधीन तैयार की गई चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची को, नियुक्ति के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु शासन को अग्रेषित करेगा। तथापि, आयोग की सहमति के बिना प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति नहीं की जा सकेंगी। (5) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी कम में विचार किया जायेगा, जिस कम में उनके नाम उप-नियम (1) के अनुसार चयन सूची में आये हों।

- (6) चयन सूची में अभ्यर्थियों के नाम सम्मिलित किये जाने से ही उन्हें नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि शासन का, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।
- (7) किसी अभ्यर्थी, जिसका नाम चयन सूची में सिम्मिलित हो, के वैधता अविध में कार्यभार ग्रहण न करने या त्यागपत्र देने या किन्हीं कारणों से अयोग्य पाये जाने पर या वैधता अविध के दौरान चयनित अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर, आयोग द्वारा प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों के नाम, नियुक्ति के लिये अनुशंसित किये जा सकेंगे।
- (8) यदि प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों के नाम भेजे जाने के लिये शासन से अनुरोध प्राप्त होता है, तो आयोग, उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार, प्रतीक्षा सूची से नाम, अनुशंसित करेगा तथा इसे शासन को भेजेगा।
- (9) आयोग, शासन से प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात्, शासन को विधिमान्य कारण दर्शाते हुए, अधिकतम 6 माह की कालाविध के लिए चयन सूची की वैधता अविध में वृद्धि कर सकेगा।
- (10) चयन सूची की वैधता अवधि में 6 माह की वृद्धि हो जाने पर, प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि में 6 माह की स्वतः वृद्धि हो जाना माना जायेगा।
- (11) उप—नियम (9) एवं (10) के अधीन तैयार की गई चयन सूची की वैधता अविध में, आयोग द्वारा तब तक कोई वृद्धि नहीं की जाएगी, जब तक कि शासन, वृद्धि हेतु युक्तियुक्त कारण दर्शाते हुए कोई सिफारिश नहीं करता।
- 13. पदोन्नित द्वारा नियुक्ति.— (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नित हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें अनुसूची—चार में उल्लिखित सदस्य सम्मिलित होंगे:

परन्तु इस उप–नियम के अधीन, समिति के गठन के लिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंधों का भी अनुसरण किया जायेगा।

- (2) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों में होगी, जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक न हो।
- (3) प्रत्येक पदोन्नति, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों के

अनुसार तथा मॉडल रोस्टर के अनुसार की जायेगी।

- (4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नित करने हेतु प्रक्रिया, उप–नियम (3) तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।
- (5) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन— नियुक्ति प्राधिकारी, अपने द्वारा जारी किए जाने वाले पदोन्नित आदेश पर, इस आशय के प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नित) नियम, 2003 के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में जारी निर्देशों तथा राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों का पालन कर लिया है तथा उसने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप—धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान लिया है।
- 14. पदोन्नित के लिये पात्रता संबंधी शर्ते.— (1) उप—िनयम (2) के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, सिमिति उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों में, जिनसे पदोन्नित की जानी है, जैसा कि अनुसूची—चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट है या शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित किन्हीं अन्य पद या पदों पर (चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में), उतने वर्षों की सेवा, जैसा कि अनुसूची—चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो तथा जो उप—िनयम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों।

स्पष्टीकरण— पदोन्नित के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति— संबंधित वर्ष, जिसमें विभागीय पदोन्नित समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालाविध की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

(2) (एक) ऐसे मामलों में जहां पदोन्नित, विष्ठता सह उपयुक्तता (सीनियारिटी कम फिटनेस) के आधार पर अथवा अनुपयुक्त अभ्यर्थी को छोड़कर विष्ठता के आधार पर की जानी हो, वहां सभी वर्गों के लिये विचारण हेतु कोई आधार नहीं होगा। केवल लोक सेवकों की ऐसी संख्या के प्रस्तावों पर विष्ठता के अनुसार विचार किया जायेगा, जो कि प्रत्येक प्रवर्ग में विद्यमान पदों तथा 1 वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति / पदोन्नित के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्त पदों की संख्या को भरने के लिए पर्याप्त होगी।

- (दो) ऐसे मामलों में, जहां पदोन्नति योग्यता सह विरष्ठता (मेरिट कम सीनियारिटी) के आधार पर की जानी हो, वहां विचारण का क्षेत्र, कुल रिक्त पदों के दो गुने से चार अधिक होगा। यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शासकीय सेवकों की पर्याप्त संख्या, पदोन्नति के लिए उपलब्ध न हो, तो विचारण के क्षेत्र में कुल रिक्त पदों के 7 गुने तक वृद्धि की जा सकेगी तथा आरक्षित पदों की पूर्ति, उपरोक्त उल्लिखित विचारण क्षेत्र में आये आरक्षित संवर्ग के व्यक्तियों से की जा सकेगी। समिति, उक्त विचारण क्षेत्र से प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन विद्यमान तथा 1 वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए विचार करेगी।
- (3) उप—िनयम (2) के अधीन प्रत्याशित रिक्तियों के अतिरिक्त उपरोक्त कालाविध के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये, दो लोक सेवकों के या चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक, जो भी अधिक हो, उनके नाम सम्मिलित करने के प्रयोजन से प्रत्येक प्रवर्ग के लिए अपेक्षित संख्या में लोक सेवकों के नाम पर विचार किया जायेगा।
- (4) शासन द्वारा विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जायेगी।
- (5) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नित) नियम, 2003 के अन्य प्रावधान तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी आदेश, पदोन्नित के लिये लागू होंगे।
- 15. उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची का तैयार किया जाना.— (1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपरोक्त नियम 15 में विहित शर्तों को पूरी करते हों तथा जिन्हें सिति द्वारा सेवा में पदोन्नित के लिये उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची, चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालाविध के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नित के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी। इसके अतिरिक्त, उक्त कालाविध के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये, एक आरक्षित सूची तैयार की जायेगी, जिसमें प्रत्येक प्रवर्ग से एक एवं न्यूनतम 25% तक नाम सम्मिलित होंगे।
 - (2) उपयुक्त अधिकारियों की सूची, समय समय पर यथा संशोधित छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की जायेगी।
 - (3) इस प्रकार तैयार की गई सूची, प्रति वर्ष पुनरीक्षित एवं पुनर्विलोकित की जायेगी।

- (4) यदि चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में, सेवा के किसी सदस्य, यथास्थिति, का अवक्रमण किया जाना प्रस्तावित हो, तो समिति, प्रस्तावित अवक्रमण के लिये अपने कारणों को लेखबद्ध करेगी।
- 16. आयोग से परामर्श.— (1) नियम 15 के अनुसार तैयार की गई सूची, निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ शासन द्वारा आयोग को भेजी जायेगी:—
 - (एक) सूची में सम्मिलित सभी व्यक्तियों के अभिलेख;
 - (दो) अनुसूची—चार के कॉलम (2) में उल्लिखित उन सभी व्यक्तियों के अभिलेख जिनका सूची में यथा अनुशंसित अवक्रमण प्रस्तावित है;
 - (तीन) अनुसूची—चार के कॉलम (2) में यथा उल्लिखित सेवा के किसी सदस्य के प्रस्तावित अवक्रमण के लिये समिति के लेखबद्ध कारण;
 - (चार) समिति की अनुशंसाओं पर शासन की टिप्पणियां।
 - (2) यदि पदोन्नित समिति में, आयोग के अध्यक्ष या कोई सदस्य, जिसे अध्यक्ष / आयोग द्वारा नामांकित किया गया हो, उपस्थित रहे हों तथा यदि बैठक की कार्यवाही विवरण पर अध्यक्ष सहित समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर हों, तो उप—िनयम (1) के अधीन उपरोक्त कार्यवाही अपेक्षित नहीं होगी तथा यह माना जायेगा कि संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के उप—खंड (ख) के अधीन आयोग से परामर्श संबंधी अपेक्षा का अनुपालन किया गया है तथा आयोग से पृथक परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा।
- 17. चयन सूची.— (1) आयोग, शासन से प्राप्त हुए दस्तावेजों के साथ—साथ समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा, यदि आयोग की राय हो कि इसमें कोई परिवर्तन करना आवश्यक नहीं है, तो वह सूची को अनुमोदित करेगा।
 - (2) यदि आयोग, शासन से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे, तो आयोग, प्रस्तावित परिवर्तन से शासन को सूचित करेगा तथा यदि शासन, कोई मत प्रकट करे, तो उस पर विचार करने के पश्चात् ऐसे उपान्तरणों सहित, यदि कोई हो, जो उसकी राय में न्यायसंगत एवं उचित हो, सूची को अंतिम रूप से अनुमोदित करेगा।
 - (3) आयोग द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित चयन सूची, अनुसूची—चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों से अनुसूची—चार के कॉलम (3) में यथा उल्लिखित पदों पर सिविल सेवा के सदस्यों की पदोन्नित के लिए अनुमोदित चयन सूची होगी।

(4) चयन सूची की वैधता, इसके तैयार किये जाने की तारीख से 31 दिसम्बर के बाद नहीं बढ़ायी जायेगी:

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्य के निर्वहन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, शासन के अनुरोध पर, चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और आयोग, यदि वह उचित समझे, तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

- 18. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.— (1) चयन सूची में सिम्मिलित अधिकारियों की सेवा—संवर्ग के पदों पर नियुक्तियों में उसी क्रम का अनुपालन किया जायेगा, जिस क्रम में ऐसे अधिकारियों के नाम चयन सूची में आये हों।
 - (2) साधारणतः उस व्यक्ति की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, नियुक्ति के पूर्व आयोग से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालाविध के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाये, जो शासन की राय में सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करती हो।
- 19. परिवीक्षा.— (1) सेवा में सीधे भर्ती या पदोन्नत किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालाविध के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।
 - (2) यदि कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा की कालावधि, अधिकतम 1 वर्ष तक की कालावधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
 - (3) परिवीक्षा की कालाविध या बढ़ाई गई कालाविध के दौरान या परिवीक्षा की कालाविध के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में कोई विशेष अभ्यर्थी, अधिकारी बनने हेतु उपयुक्त नहीं है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
- 20. निर्वचन.— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता हो, तो उसे राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।
- 21. शिथिलीकरण.— इन नियमों में दी गई किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:

परन्तु मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो ।

22. निरसन एवं व्यावृत्ति — (1) इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी।

(2) इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये, शासन द्वारा समय—समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार उपबंधित अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सोनमणि बोरा, सचिव.

अनुसूची—एक (नियम 5 देखिये)

स.	सेवा में सम्मिलित	पदों की कुल संख्या		वर्गीकरण		तन बैंड एवं ग्रेड		टिप्पणियां
क्र.	V V	विभागाध्यक्ष कार्यालय एवं मैदानी कार्यालय	खेल अकादमी		प्रारंभिक वेतन बेंड एवं ग्रेड वेतन	प्रथम उच्चतर वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन	द्वितीय उच्चतर वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन (8)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	• (9)
1.	संचालक / आयुक्त अखिल भारतीय सेवा	01	-	प्रथम श्रेणी	संवर्ग वेतनमान	_	21	
2.	संयुक्त संचालक	01		प्रथम श्रेणी	15600—39100 +7600	_	-	
3.	उप संचालक	01	_	प्रथम श्रेणी	15600—39100 +6600	-		
4.	सहायक संचालक पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश से एक क्षेत्रीय खेल अधिकारी का पद समान वेतनमान पर	09.	-	द्वितीय श्रेणी	15600—39100 +5400	15600—39100 +6600	15600-39100 +7600	
	छत्तीसगढ़ राज्य को आबंटित हुआ है। क्षेत्रीय खेल अधिकारी पद को विभागीय सेटअप में सहायक							
	संचालक पद के रूप में स्वीकृत किया गया है, अतः छत्तीसगढ़ राज्य को आबंटित क्षेत्रीय खेल अधिकारी के पद							-
	को सहायक संचालक के रूप में पढ़ा जाये। वित्ता एवं योजना विभाग के ज्ञापन क्र. 231/वित्त/ नियम/चार/09, दिनांक 10 अगस्त 2009 में स्तंभ 7		*					
	एवं 8 में वेतनमान स्वीकृत किया गया है।							
5.	लेखा / प्रशासकीय अधिकारी	01	-	द्वितीय श्रेणी	15600-39100 +5400			
6.	प्रशासक	-	01	द्वितीय श्रेणी	15600-39100 +5400			
7.	खेल अधिकारी	01	_	द्वितीय श्रेणी	9300-34800 +4400		-	9
8.	युवा कल्याण अधिकारी	T 01	_	द्वितीय श्रेणी	9300-34800 +4400	-		

अनुसूची—दो (नियम 6 देखिये)

स.	सेवा का नाम	पदों की व्	रुल संख्या	भरे जाने	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत				
क्र.		विभागाध्यक्ष कार्यालय एवं भैदानी कार्यालय	खेल अकादमी	सीधी भर्ती द्वारा (नियम 6(1)(क) देखिये)	पदोन्नति द्वारा (नियम 6(1)(ख) देखिये)	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा (नियम 6(1)(ग) देखिये)	2 2		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
1.	संचालक / आयुक्त अखिल भारतीय सेवा	01	-	_		100%			
2.	संयुक्त संचालक	01	-		100%	_			
3.	उप संचालक	.01	_	-	100%		<u> </u>		
4.	सहायक संचालक	09	_	20%	80%				
5.	लेखा / प्रशासकीय अधिकारी कोष एवं लेखा सेवा से स्थानांतरण / प्रतिनियुक्ति पर	01	-		_	100%			
6.	प्रशासक		01	100%	-				
7.	खेल अधिकारी	. 01	_	100%		_			
8.	युवा कल्याण अधिकारी	01	_	100%		- 1 - - 1			

अनुसूची—तीन (नियम 8 देखिये)

₩.	सेवा/पद का नाम	न्यूनतम	उच्चतर	शेक्षणिक अर्हता	टिप्पणियां
क्र.		आयु सीमा	आयु सीमा	· .	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सहायक संचालक	21 वर्ष	30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि	A 1 () () () () () () () () () (
2.	प्रशासक	–तदैव–	–तदैव–	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि	
3.	खेल अधिकारी	–तदैव–	–तदैव–	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा में रनातक उपाधि	
4.	युवा कल्याण अधिकारी	-तदैव-	—तदैव—	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि	100 KI SE

टीप:— ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ राज्य के वास्तविक निवासी हैं के लिये, उच्चतर आयु सीमा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों के अनुसार शिथिलनीय होगी।

अनुसूची—चार (नियम 14 देखिये)

		#			
₹1,	सेवा या पद का नाम	सेवा या	अगले उच्चतर पद पर	विभागीय पदोन्नति	टिप्पणियां
क्र.	जिससे पदोन्नति	पद का नाम	पदोन्नति के लिये अर्ह	समिति	
	की जानी है	जिस पर	होने हेतु अपेक्षित	STANS SECT OF	
		पदोन्नति	न्यूनतम कालावधि	200	98
		की जानी है	Zin vienna		
		प्रा जाना ए	2		ii
			21 21	(a) (a)	12 30
		=			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	उप संचालक	संयुक्त	5 वर्ष	1. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़	
10000	20 1 11 22 27 1	संचालक		लोक सेवा आयोग	
	5.2			या उसके द्वारा	•
9	15	2	V #	नामनिर्दिष्ट सदस्य	0 8
	8 "			— अध्यक्ष.	
0	n **			2. विभाग के अपर	
	7	<u> </u>	. Te	मुख्य सचिव / प्रमुख	
		15	3	सचिव/ सचिव	2
				– सदस्य.	
	9 = ₉		×	3. संचालक/आयुक्त,	
		ac ac	, = x	छेल एवं युवा	
	g (r			कल्याण विभाग	= 1
	(1	(5			g ¹⁰
		l		सदस्य.	
2.	सहायक संचालक	उप संचालक	ं 5 वर्ष	-तदैव- 	
3.	खेल अधिकारी/	सहायक	10 वर्ष	–तदैव–	यदि शासकीय
	वरिष्ठ खेल	संचालक			सेवक वरिष्ठ खेल
	अधिकारी / खेल	8 1 15	# %	5	अधिकारी के पद
	अधिकारी (मैदानी	T = -			पर पदस्थ है तो
	कार्यालय)	R 74	9 E		अर्ह होने हेतु
					अपेक्षित न्यूनतम
					कालावधि की
6	22		© 261	2 "	गणना के लिये
			Mile III	_ =	खेल अधिकारी
					(मैदानी) एवं वरिष्ट
				. 020	खेल अधिकारी के
				a 3	रूप में दोनों पदों
			*	*	में की गई सेवा
				n E n	अवधि को जोड़ा
	E		s lx	0 8	जायेगा।
2		la la			जायगा।

Naya Raipur, the 16th September 2016

NOTIFICATION

No. F 1-2/2009/9. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules relating to the recruitment and conditions of service of the Chhattisgarh Sports and Youth Welfare (Gazetted) Services, namely:-

RULES

- 1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Chhattisgarh Sports and Youth Welfare (Gazetted) Services Recruitment Rules, 2016.
 - (2) These rules shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Appointing Authority" in respect of services means the Government of Chhattisgarh;
 - (b) "Commission" means the Chhattisgarh Public Service Commission;
 - (c) "Committee" means a selection committee meant for departmental selection/ promotion as specified in Schedule-IV;
 - (d) "Examination" means a competitive examination held under rule 11 of these rules;
 - (e) "Government" means the Government of Chhattisgarh;
 - (f) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh;
 - (g) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F-8-5/25/4/84, dated 26th December, 1984, as amended from time to time;
 - (h) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;
 - (i) "Scheduled Caste" means the Scheduled Caste as specified in

relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;

- (j) "Scheduled Tribe" means the Scheduled Tribe as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;
- (k) "Services" means the Chhattisgarh Sports and Youth Welfare (Gazetted) Services;
 - (1) "State" means the State of Chhattisgarh.
- 3. Scope and application.- Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.
- 4. Constitution of the service. The service shall consist of the following persons, namely:-
 - (1) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively or in an officiating capacity the posts specified in Schedule-I;
 - (2) Persons, recruited to the service before the commencement of these rules; and
 - (3) Persons, recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.
- 5. Classification, scale of pay etc.- The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto, shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts and pay scale included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. Method of recruitment.- (1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely:-

- (a) by direct recruitment, through selection (competitive examination and/or interview);
- (b) by promotion of substantive or officiating members of the service:
- (c) by transfer/deputation of persons, who hold in a substantive capacity such post in such services, as may be specified in this behalf.
- (2) The number of persons recruited under clause (a),(b) or (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in the Schedule-II of the number of duty posts as specified in Schedule-I.
- (3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service, as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Government in consultation with the Commission.
 - (4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Government the exigencies of the service so required, the Government may after consultation with the Commission may adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.
- (5) At the time of recruitment to the service the provision of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhda Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No.21 of 1994) and instructions issued, from time to time, under the said Act by the General Administration Department shall apply.
- 7. **Appointment in service.** After the commencement of these rules, all appointment to the service shall be made by the Appointing Authority

and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

- 8. Conditions of eligibility for direct recruitment:- In order to be eligible for direct recruitment/selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely:-
 - (1) Age —(a) Candidate must have attained the age as specified in column (3) of Schedule-III and must not have attained the age as specified in column (4) of the said Schedule on the 1st day of January of the calendar year in which the advertisement for the post is published;
 - (b) The upper age limit shall be relaxable up to maximum of 5 years, if a candidate belongs to a Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non creamy-layer);
 - (c) For woman candidates, the upper age limit shall be relaxable up to maximum of 10 years as per the provisions of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provisions for Appointment of Women's) Rules, 1997;
 - (d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Chhattisgarh Government to the extent and subject to the condition specified below:-
 - (i) A candidate, who is a permanent or temporary Government Servant should not be more than 38 years of age;
 - (ii) A candidate, holding a post temporarily and applying for any other post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the work charged employees, contingency paid employees and employees working in the Project Implementing Committees;

- (iii) A candidate, who is a retrenched Government servant shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years;
- **Explanation** -The term "retrenched Government servant" denotes a person who was in temporary Government Service of this State or of any of the constituent units for a continuous period of not less than 6 months and who was discharged because of reduction in establishment not more than 3 years prior to the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in the Government service.
 - (e) A candidate, who is an ex-servicemen shall be allowed to deduct from his age the period of all Defence Service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years;
- **Explanation-** The term "ex-servicemen" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than 6 months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit or due to normal reduction in establishment not more than 3 years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in the Government service:—
 - (1) Ex- servicemen released under mustering out concessions;
 - (2) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged of-
 - (a) completion of short term engagement;
 - (b) on fulfilling the conditions of enrollment.

- (3) Ex-servicemen (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including Short Service Regular Commissioned Officers);
- (4) Ex-servicemen/Officers discharged after working for more than 6 months continuously against leave vacancies;
- (5) Ex-servicemen invalided out of service;
- (6) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;
- (7) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot, wounds, etc.
- (f) The upper age limit shall be relaxable up to 5 years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the Inter-caste Marriage Incentive Scheme under Untouchability Eradication Rules, 1984;
- (g) The upper age limit shall also be relaxable up to 5 years in respect of Shahid Rajiv Pandey Award, Gundadhur Award, Maharaja Praveerchand Bhanjdeo Award holder players, Utkrisht Khiladi declared player and National Youth Award holders young candidates;
- (h) The general upper age limit shall be relaxable up to 38 years of age in respect of candidates who are the employees of the Chhattisgarh State Corporations/Boards;
- (i) The upper age limit shall be relaxed in the case of voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of Home Guard service rendered so by them subject to the limit of 8 years, but in no case their age should exceed 38 years;

- (j) After providing relaxation on the basis of any or more of the above category for entering in Government service the maximum age limit must not exceed 45 years;
- (k) Apart from above in respect of age limit, the direction issued by General Administration Department of the Government, from time to time shall also be applicable.
- NOTE The candidates who are admitted to the examination/
 selection under the age concession mentioned in sub-clause
 (d) of clause (1) of rule 8 above shall not be eligible for
 appointment if after submitting the application, they resign
 from service either before or after taking the
 examination/selection. They shall, however, continue to be
 eligible if they are retrenched from the service or posts after
 submitting the applications. In no other case these age limit
 shall be relaxed. The departmental candidates must obtain
 previous permission of the Appointing Authority to appear for
 the selection.
- (2) Educational qualifications:- The candidate must possess the educational qualifications as prescribed for the service as shown in Schedule III.
- (3) Fees:- (a) The candidate must pay the fees prescribed by the Commission.
 - (b) The candidate who has been required to appear before Medical Board must pay the fees as prescribed by the Government to the Chairman of Medical Board before medical test.
- 9. **Disqualification.** (1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Commission disqualified for selection.
 - (2) Any male candidate, who is having more than one living wife and any female candidate who has married a man, who is already having a living wife, shall not be eligible for appointment in any service or post:

Provided that if the Government is satisfied that there were specific reasons for doing so then the Government may give relaxation in the enforcement of this rule to such candidates.

(3) Candidate shall not be appointed to any service or post until he/she is declared mentally or physically fit and free from any mental or physical default, which can obstruct the fulfillment of duty of any service or post, in such medical examination as may be prescribed:

Provided that in exceptional cases a candidate may be given temporary appointment on any service or post before his medical examination under a condition that, if he is found medically unfit, then his services may be terminated immediately.

- (4) Candidate shall not be eligible on such condition to any service or post, if the Appointing Authority is satisfied that, after due enquiry, which is considered necessary, he/she is not fit for such service or post.
- (5) Any candidate, who is convicted for any offence against women shall not be eligible for any service or post:

Provided that if such matter is pending in a court against the candidate, then matter of his appointment shall be kept in abeyance till the criminal matter is finally disposed off by the court.

- (6) Any candidate, who is married, before the minimum age fixed for marriage shall not be eligible for any service or post.
- (7) No candidate shall be eligible for appointment to a service or post, who has more than two living children one of whom is born on or after the 26th day of January, 2001:

Provided that any candidate who is already having one living offspring and next delivery takes place on 26th January, 2001 or thereafter, in which two or more than two children are born, shall not be disqualified from any service or post.

- 10. Commission's decision about the eligibility of candidates.- (1) The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for selection shall be final and candidate, to whom a certificate of admission has not been issued by the Commission for examination/interview, shall not be allowed to appear in the examination/interview.
 - (2) At any time of selection process or even after submission of selection list to the Government, if it comes to notice of the Commission that a candidate has given wrong information or any misinformation is found in the documents submitted by him, then he shall be disqualified and his selection/appointment shall be terminated by the Commission.
- 11. Direct recruitment by Selection (Competitive Examination and /or Interview).- (1) The selection for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Government may, in consultation with the Commission, from time to time, determine.
 - (2) Syllabus of the examination and examination plan of the competitive examination will be determined by the Commission with the consent of Government and if the Commission deems it necessary it can take combined examination for the direct recruitment in service and for any other service or services, with the consultation of Government.
 - (3) The selection of the candidates to the service shall be made in such manner as may be determined by the Commission.
 - (4) At the time of recruitment in the service the provision of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhda Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No.21 of 1994) and the directions issued under this Act by the General Administration Department of the Government from time to time shall be applicable.
 - (5) There shall be 30 percent reserved posts for women candidates in accordance with the provision of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997. The reservation shall be Horizontal and Compartment-wise.

- (6) In addition to above, the posts for person with disability/exservicemen shall be reserved in accordance with the Act/Rule/Order/Instructions issued by the Government from time to time.
 - (7) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.
 - (8) In addition to above the women/persons with disability/Exservicemen who have been selected consequent to reservation, shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12, irrespective of their relative rank as compare with other candidates.
 - (9) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer), who are declared eligible for appointment by the Commission keeping in view of their administrative efficiency, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer), as the case may be, as per the sub-rule (7).
 - (10) In such cases, where experience of certain period has been prescribed as an requisite condition for the posts to be filled in, by direct recruitment and it is found in the opinion of the Government that there is a possibility of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) may not be available in sufficient number, the Government after the consultation with the Commission, may relax the condition of experience to the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer).
- 12. List of Candidates selected by the Commission.- (1) The Commission shall prepare a list arranged in the order of merit of the candidates, who are qualified by such standards as determine by the Commission and the list of the candidates belonging to the Scheduled

Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer), who may not be qualified by that standard, but are declared to be suitable by the Commission for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration and the list of candidates of each category belonging to women, persons with disability/ex-servicemen in the order of merit of the candidates who have qualified by such standards due to reservation, whose validity for appointment shall be one year from the date of sending the list to the Government.

- (2) List so prepared under sub-rule (1) shall be notified on the Commission's website for information to the general public.
- (3) A select list for each category shall be prepared by the Commission for filling the vacant posts, for such categories a waiting list shall also be prepared in which minimum one name and maximum names upto 25% of the vacant posts shall be included. The validity of the list shall be for one and half year from the date of issue of such select list.

Explanation- While calculating 25% vacant posts in each category, to make it an integer, decimal number shall be extended to the next integral number.

- (4) Commission shall forward the selection list and waiting list prepared under sub-rule (1) and (3) to the Government for further action regarding appointment. However appointments from waiting list cannot be done without consent of Commission.
- (5) Subject to the provisions of these rules and of the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Services) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the selection list as per sub-rule (1).
- (6) The inclusion of candidates name in the selection list confers no right to appointment unless the Government is satisfied, after such enquiry, as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.
- (7) Any candidate, whose name is included in the selection list, do not join the duty within the valid period or resigns or for any reason he is found unfit or the selected candidate dies during the valid period, the

name of candidate from the waiting list can be recommended by the Commission for appointment.

- (8) If a request is being received from the Government asking to send names of the candidates from waiting list, then the Commission, as per the above provisions, shall recommend the names from the waiting list and send it to the Government.
- (9) The Commission after receiving the proposal from the Government, can extend the validity period of selection list for a maximum period of 6 months by stating valid reason to the Government.
- (10) On extending the validity period of waiting list for 6 months, the validity period of waiting list shall automatically deem to be extended for 6 months.
- (11) The validity of selection list, prepared under sub-rule (9) and (10), shall not be extended by the Commission unless the Government makes any recommendation stating valid reason for extension.
- 13. Appointment by promotion.- (1) There shall be a Committee consisting of the members mentioned in Scheduled-IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates:

Provided that for the purpose of constitution of the Committee under this sub-rule, provisions of Section 8 of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon ,Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhda Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No.21 of 1994) shall also be adhered to.

- (2) The Committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.
- (3) Every promotion shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and as per model roaster.
- (4) The procedure for making promotion in the reserved vacancies shall be made in accordance with sub-rule (3) and the instructions issued by the General Administrative Department of the Government from time to time.

- (5) Certification by the Appointing Authority- Appointing Authority shall endorse on the promotion order to be issued by him a certificate to the effect that he had complied with the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon ,Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhda Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No.21 of 1994) and the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and the instructions issued in the light of the provisions of the said Act and the rules framed by the State Government and that he has taken full cognizance of the provisions of sub-section (1) of Section 6 of the said Act.
- 14. Conditions regarding eligibility for promotion.- (1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the Committee shall consider the cases of all persons who on first day of January of that year had completed such number of years of service (whether officiating or substantive) in the posts, from which promotion is to be made as specified in column (2) of Schedule-IV or on any other post or posts declared equivalent thereto by the Government, as specified in column (4) of Schedule-IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2).

Explanation - Method of computation for eligibility of promotion – The calculation of the period of qualifying service on the 1st day of January of the relevant year in which Departmental Promotion Committee/Scrutiny Committee is convened, shall be counted from the calendar year in which public servant has joined the feeder cadre/part of service/pay scale of the post and not from the date of joining of the feeder cadre/part of service/pay scale of the post.

- (2) (i) In such cases where promotion is to be given on seniority cum fitness basis or on seniority basis leaving unsuitable candidate, there will be no grounds for consideration for all categories. Proposals of such number of public servants shall only be considered as per seniority that shall be sufficient for filling the existing posts in each category and number of expected vacant post due to retirement/promotion during 1 year.
- (ii) In such cases where promotion is to be made on merit cum seniority basis, the area for consideration shall be four more than two times of the

total vacant posts. If the sufficient number of Government servants in Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not available for promotion then the area of consideration may extend upto 7 times of the total vacant posts and filling up of reserved post may be made from the persons belonging to reserved category above mentioned area of consideration. Committee shall consider to fill the vacancies existing under each category in said area of consideration and the anticipated vacancies on account of retirement and promotion the course of 1 year.

- (3) To fill up the unexpected vacancies during the said duration in addition to the expected vacancies under sub-rule (2), for the purpose of inclusion of names of two public servant or up to 25% of number of public servant included in the select list, whichever is more, in the select list the name of the public servants shall be considered in requisite number for each cadre.
- (4) Promotion shall be made as per Reservation Roster prescribed by the Government.
- (5) Other provisions of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and the order issued by the General Administration Department of Government from time to time shall be applicable for promotion.
- 15. Preparation of list of suitable candidates.- (1) The Committee shall prepare a list of such persons as satisfy the condition prescribed in rule 15 above and are held by the Committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirements and promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list. In addition to this a reserve list shall be prepared, which shall consist one and minimum 25% in each category, to fill the unexpected vacancies during the said period.
 - (2) The list of suitable officers shall be prepared as per the provision of the Chhattisgarh Lok Sewa (Promotion) Rules, 2003 as amended from time to time.
 - (3) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

- (4) If in the process of selection, review or revision it is proposed to supersede any member of the service, as the case may be, then the committee shall record its reason for the proposed supersession.
- 16. Consultation with the Commission.- (1) The list prepared in accordance with rule 15 shall be sent to the Commission by the Government along with following documents,-
 - (i) the records of all persons included in the list;
 - (ii) the records of all those persons mentioned in column (2) of Schedule-IV, who are proposed for supersession as recommended in the list;
 - (iii) the recorded reasons of the committee for the proposed supersession of any member of the service as mentioned in column (2) of Schedule –IV;
 - (iv) the remarks of the Government on the recommendations of the Committee.
 - (2) If the Chairman of the Commission or any member who is nominated by the Chairman/Commission is present in the promotion committee and if all members of the committee including Chairman have signed on the proceeding of the meeting then the above action under sub-rule (1) is not required and it shall be deemed to be compliance of the requirement of the consultation with the Commission under sub-clause (b) of clause (3) of Article 320 of the Constitution and a separate consultation with the Commission shall not be necessary.
 - 17. Select List.- (1) The Commission shall consider over the list along with the documents received from the Government, prepared by the Committee, if in the opinion of the Commission that there is no need of making any changes then it shall approve the list.
 - (2) If the Commission considers it necessary to make any changes in the list received from the Government, the Commission shall inform the Government of the changes proposed and if the Government expresses any opinion after considering it, along with such modifications, if any, in its opinion that is just and proper, shall approve the list finally.

- (3) The select list finally approved by the Commission shall be approved select list for promotion of the members of the civil services as mentioned in column (3) of Schedule-IV from the posts mentioned in column (2) of Schedule-IV.
- (4) The validity of select list shall not be extended beyond 31st December from the date of its preparation:

Provided that in event of a grave lapse in the conduct or performance of the duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Government and the Commission, if it thinks fit, may remove the name of such person from the list.

- 18. Appointment to the service from the select list.- (1) The appointments of the officers including in the select list to post borne on the cadre of the service shall follow the order in which the name of such officers appears in the select list.
 - (2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Commission before appointment of an officer whose name is included in the select list of to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of proposed appointment there occurs any deterioration in his work, which in the opinion of the Government is such as to render him unsuitable for appointment to the service.
- **19. Probation.-** (1) Every person directly recruited or by promotion to the service shall be appointed on probation for a period of two years.
 - (2) If the work is found unsatisfactory, then the period of probation can be extended by the Appointing Authority for a period up to a maximum of 1 year.
 - (3) During the period of probation or period extended or at the end of probation period, if the Appointing Authority is of the opinion that any particular candidate is not fit to be an officer, then the services of such probationer can be terminated.

- **20. Interpretation:-** If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the State Government, whose decision thereon shall be final.
- 21. Relaxation:- Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules may apply in such manner as may appear to it to be just and proper:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favorable to him than that provided in these rules.

22. Repeal and saving.- (1) All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of such matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

(2) Nothing in these rules shall effect reservation and other concession provided to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government, from time to time, in this regards.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, SONMONI BORAH, Secretary.

SCHEDULE - I (See rule 5)

S. No.	Name of the post included in the service	Total number of posts		Classifi- cation	Pay Band and Grade Pay			Remarks
	service	Office of the Head of Departme nt and Field Office	V/000		Initial Pay Band and Grade Pay	First Upgraded Pay Band and Grade Pay	Second Upgraded Pay Band and Grade Pay	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	. (8)	(9)
1.	Director/Commissioner All India Service	01	-	Class-I	Cadre Pay Scale	-	=	
2.	Joint Director	01		Class-I	15600- 39100 + 7600	-	-	
3.	Deputy Director	01	1=1	Class-I	15600- 39100 + 6600	-	-	
4.	Assistant Director	09	:- 7	Class-II	15600-	15600-	15600-	
	One Regional Sports Officer post is allocated to Chhattisgarh from the	* 19		2	39100 + 5400	39100 + 6600	39100 + 7600	
2	anterior Madhya Pradesh with uniform salary. In the							
	Departmental set-up, the Regional Sports Officer post has been approved as the post of Assistant Director.							2
	Hence the Regional Sports Officer allotted to Chhattisgarh should be read as Assistant Director.		a l			×	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	4
	The Finance and							

		No.						
	Planning Department's				0			
	Memo No.231/Finance							
	/Rule/Four/09, dated					10	x	
	10 August 2009 in the		= 1 3				8	
	Column 7 and 8 pay			2 /				
	scale has been						•	
	approved.							
	n ==== ===============================							
1 5		- 15						
	×	z **			5 195			75
	=	-10	8					
	8 8							
5.	Account/Administrative	01	F	Class-II	15600-	-	=	
	Officer	197	200		39100 +			
	1 10				5400			
6.	Administrator	74	01	Class-II	15600-	-	-	
	19				39100 +	€		
	9	CI CI	.*		5400			
7.	Sports Officer	01		Class-II	9300-		b. B.	
					34800 +			
	,		N a		4400			
8.	Youth Welfare Officer	01	-	Class-II	9300-	-	-	
	Ti ====================================				34800 +			
					4400			

SCHEDULE II

(See rule 6)

	,			e ruie oj			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
s.	Name of service	Total number			Remarks				
No.		Office of the Sports		be filled in	be filled in				
		Head of Department and Field Office	Academy	By direct recruitme nt (See rule 6 (1) (a))	By promotion (See rule 6 (1) (b))	By transfer of person from other services (See rule 6 (1) (c))	1		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)		
1.	Director/ Commissioner All India Service	01	-	-	-	100%			
2.	Joint Director	01	=		100%	-			
3.	Deputy Director	01	-	_	100%	-			
4.	Assistant Director	09	-	20%	80%				
5.	Account/ Administrative Officer on transfer/ deputation from Treasury and	01	1-		_	100%	a a		
	Accounts Service					<i>p</i>			
6.	Administrator	-	01	100%	8 = 8	-			
7.	Sports Officer	01	727	100%					
8.	Youth Welfare Officer	01	-	100%		=			

SCHEDULE-III (See rule 8)

S.	Name of Service/	Minimum	Upper	Educational Qualification	Remarks
No.	Posts	Age Limit	Age	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	*		Limit		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) .	(6)
1.	Assistant Director	21 years	30 years	Bachelor Degree of Physical	
				Education from any recognized	
				University	Mercano and Substitution (Section 1989)
2.	Administrator	do	do	Bachelor Degree of Physical	
				Education from any recognized	
	a)	2	a - e .	University	
3.	Sports Officer	do	do	Bachelor Degree of Physical	
	55 N	H	241	Education from any recognized	
2	- X - 22	12		University	
4.	Youth Welfare	do	do	Bachelor Degree from any	
	Officer		2 2	recognized University	

Note:- The upper age limit shall be relaxable, for the candidates who are bonafide resident of State of Chhattisgarh, as per instruction issued by the General Administration Department, from time to time.

SCHEDULE IV
(See rule 14)

S.No.	Name of service or post	Name of	Minimum Period	Departmental Promotion	Remarks
	from which promotion	service or	required to	Committee	
	to be made	post to which	qualifying for		
		promotion is	promotion to the	DEL S	ϵ
		to be made	next Higher Post		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Deputy Director	Joint Director	5 years	1. Chairman,	
				Chhattisgarh Public	
				Service Commission	<u> </u>
				or Member nominated	8.5
	18		·	by him – Chairman.	
	5		3 0	2. Upper Chief Secretary/	
	8		a I in	Principal Secretary	
				/Secretary of the	: 0
				Department	20
	*			– Member.	
			. v 8	3. Director/Commissioner	
				of Sports and Youth	>
				Welfare Department	
				- Member.	<i>5</i>
2.	Assistant Director	Deputy	5 years	do	
2	- Isolotani Biroto.	Director	o y care		
3.	Sports Officer/Senior	Assistant	10 years	·do	If the
	Sports Officer/Sports	Director			Government
	Officer (Field Office)				servant posted
		9			at the post of
					senior sports
					officer, the
			20		service period
8					of both the
			20 St.	100	post, as a
				-	sports officer
					(field) and as a
		×			senior sports
	=			749	officer will be
	11.8				added for the
					eligibility of
					the requisite minimum
				2	AND AND ASSOCIATION OF THE PARTY OF THE PART
	a		20		period
	L				required.